



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04082026-275190
CG-DL-E-04082026-275190

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4075]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 31, 2026/श्रावण 9, 1948

No. 4075]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 31, 2026/SHRAVAN 9, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2026

का.आ. 4246(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा नीचे दी गई तालिका के कॉलम (1) में तदनुरूपी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग के कॉलम (2) में यथा विनिर्दिष्ट खंड के अनुसार निम्नलिखित सारणी के कॉलम (3) में यथा-विनिर्दिष्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग खंड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है, नामतः-

तालिका

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	राष्ट्रीय राजमार्ग का खंड	चैनेज
(1)	(2)	(3)
नया एनएच- 154ए	यह राजमार्ग पंजाब राज्य में चक्की, धार के पास एनएच-154 के साथ अपने जंक्शन से शुरू होकर बनिखेत, चंबा को जोड़ता है और हिमाचल प्रदेश राज्य में भरमौर में समाप्त होता है	संपूर्ण एनएच पंजाब और हिमाचल प्रदेश राज्य में

नया एनएच-7	हरियाणा/हिमाचल प्रदेश सीमा (काला अंब के पास) - पांवटा साहिब - हिमाचल प्रदेश/उत्तराखंड सीमा खंड (हिमाचल प्रदेश राज्य में)	पूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग हिमाचल प्रदेश में है
नया एनएच-5	शिमला बाईपास - थियोग - नारकंडा - सुरू खंड (हिमाचल प्रदेश राज्य में)	166.00 किमी.

[फा. सं. एनएच- -14013/13/2026-पी एंड एम]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st July, 2026

S.O. 4246(E).— In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretch of national Highways, as specified in column (3) of the Table below, of the section as specified in column (2) of the National Highways as specified in the corresponding entry in column (1) of the said Table, to the National Highways Authority of India, namely:-

Table

National Highways No.	Section of National Highways	Chainage
(1)	(2)	(3)
New NH-154A	The highway starting from its junction with NH-154 near Chakki, Dhar in the State of Punjab connecting Banikhet, Chamba and terminating at Bharmour in the State of Himachal Pradesh	Entire NH in the State of Punjab and Himachal Pradesh
New NH-7	Haryana/Himachal Pradesh border (near Kala Amb) – Paonta Sahib – Himachal Pradesh/Uttarakhand border Section (In the State of Himachal Pradesh)	Entire NH falling in the State of Himachal Pradesh
New NH-5	Shimla Bypass – Theog – Narkanda – Suru Section (In the State of Himachal Pradesh)	166.00 km.

[F. No. NH-14013/13/2026-P&M]

SHAIKH AMINKHAN, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2026

का.आ. 4247(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निदेश देती है कि सीमा सड़क विकास बोर्ड के अंतर्गत सीमा सड़क संगठन उक्त तालिका के स्तंभ (1) में सदृश प्रविष्टि में यथा-विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्गों का स्तंभ (2) में यथा-विनिर्दिष्ट सदृश प्रविष्टि में खंडों का नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (3) में यथा-विनिर्दिष्ट खंडों का विकास तथा अनुरक्षण संबंधी कार्य करेगा।

तालिका

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	राष्ट्रीय राजमार्ग का खंड	चैनेज/लंबाई किमी में
(1)	(2)	(3)
नया एनएच-5	सुरु - पोवारी - चिनी - शिपकिला के पास भारत/तिब्बत सीमा खंड (हिमाचल प्रदेश राज्य में)	157.00 किमी.
नया एनएच-505ए	हिमाचल प्रदेश राज्य में पॉवारी के पास एनएच संख्या 5 के साथ अपने जंक्शन से शुरू होने वाला रेकोंग पियो को जोड़ने वाला और कल्पा में समाप्त होने वाला राजमार्ग।	पूरा एनएच

[फा. सं. एनएच-14013/13/2026-पी एंड एम]

शेख अमीनखान, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2026

S.O. 4247(E).— In exercise of powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby directs that the Border Roads Organization under Border Road Development Board shall exercise the function relating to the development and maintenance of the stretch as specified in column (3) of the Table below, of the corresponding section as specified in the corresponding entry in column (2), of the National Highways as specified in the corresponding entry in column (1) of the said Table.

Table

National Highways No.	Section of National Highways	Chainage/ length in km
(1)	(2)	(3)
New NH-5	Suru – Powari – Chini – Up to India/Tibet border near Shipkila Section (In the State of Himachal Pradesh)	157.00 km
New NH-505A	The highway starting from its junction with NH No. 5 near Powari connecting Reckong Peo and terminating at Kalpa in the State of Himachal Pradesh.	Entire NH

[F. No. NH-14013/13/2026-P&M]

SHAIKH AMINKHAN, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2026

का.आ. 4248(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निदेश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कॉलम (2) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग के सामने तालिका के कॉलम (3) में विनिर्धारित कार्य इस शर्त के अधीन राज्य सरकारों द्वारा पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन वर्तमान में लागू नियमों के अनुपालन में ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य होंगी और उस प्रयोजनार्थ तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं.9 और 20 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

तालिका

(1)	(2)	(3)
“9	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 का अधिकांश भाग [मुबारकपुर - अंब खंड (4.30 किमी), नादुआन - हमीरपुर खंड (26 किमी), मंडी - कुल्लू - मनाली खंड (किमी 106.00) और मनाली - केलांग - हिमाचल प्रदेश/लद्दाख सीमा खंड (किमी 187.00) को छोड़कर], संख्या 303 [रानीताल - नादुआन खंड (किमी 31.40) को छोड़कर], संख्या 305, संख्या 105 [किमी 17.00 से किमी 35.00 तक (हरियाणा/एचपी सीमा - नालागढ़ खंड) को छोड़कर], संख्या 503ए, संख्या 705, संख्या 707, और संख्या 907ए के उतने भाग, जो हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित हैं।	हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार”
“20	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 [किमी. 0.00 से किमी. 156.265 (वाघा बॉर्डर- अमृतसर- जालंधर कैट.- होशियारपुर) को छोड़कर], संख्या 07 [किमी. 20.500 से किमी. 344.170 (फाजिल्का- अबोहर- मलोट- भटिंडा- बरनाला- संगरूर- पटियाला जीरकपुर) को छोड़कर], संख्या 148बी, संख्या 154, संख्या 254, संख्या 354 [किमी 0.00 से किमी 165.610 (गुरदासपुर- डेरा बाबा नानक- रामदास- अमृतसर- भिक्खीविंड- अमरकोट)] संख्या 354ई, संख्या 503 विस्तार, संख्या 703 [किमी. 12.00 से किमी. 149.00 (लाम्त्रा शाहकोट- मोगा- बरनाला खंड) को छोड़कर], संख्या 703ए, संख्या 703बी, संख्या 754 और एनएच संख्या 703एए के उतने भाग जो पंजाब राज्य में अवस्थित हैं।	पंजाब राज्य सरकार”

[फा. सं. एनएच- -14013/13/2026-पी एंड एम]

शेख अमीनखान, निदेशक

टिप्पण: मूल अधिसूचना को का.आ. 1096 (अ), तारीख 04 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे पिछली बार संख्या का.आ.- 3331 (अ), तारीख 22 जून, 2026 द्वारा संशोधित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2026

S.O. 4248(E).— In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:-

In the said notification, in the Schedule, for serial number 9 & 20 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

Table

(1)	(2)	(3)
“9	So much of National Highways No. 3[excluding from Mubarakpur – Amb section (4.30 km), Naduan – Hamirpur section (26 km), Mandi – Kullu – Manali section (106.00 km) and from Manali – Keylong –Himachal Pradesh/Ladakh border section (187.00 km)], No. 303[excluding from Ranital –Naduan section (31.40 km)], No. 305, No. 105[excluding from km 17.00 to km 35.00 (Haryana/HP border – Nalagarh section)], No. 503A, No. 705, No. 707, and No. 907A as are situated within the State of Himachal Pradesh.	State Government of Himachal Pradesh.”
“20	So much of National Highways No. 3 [excluding from Km. 0.00 to Km. 156.265 (Wagah Border- Amritsar- Jalandhar Cantt.- Hoshiarpur)], No. 07 [excluding from Km. 20.500 to Km. 344.170 (Fazilka- Abohar- Malout- Bathinda- Barnala- Sangrur- Patiala Zirakpur)], No. 148B, No. 154, No. 254, No. 354 [excluding from Km. 0.00 to Km. 165.610 (Gurdaspur- Dera Baba Nanak- Ramdas- Amritsar- Bhikhiwind - Amarkot)], No. 354E, No. 503 Extn., No. 703 [excluding from Km. 12.00 to Km. 149.00 (Lambra Shahkot- Moga- Barnala section)], No. 703A, No. 703B, No. 754 and NH No. 703AA as are situated within the State of Punjab.	State Government of Punjab.”

[F. No. . NH-14013/13/2026-P&M]

SHAIKH AMINKHAN, Director

Note: -The principal notification was published vide number S.O.1096 (E), dated the 4th August, 2005 and was last amended vide number S.O. 3331(E), dated the 22th June, 2026.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2026

का.आ. 4249(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 978(अ), दिनांकित 01 मार्च, 2023 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रमशः कॉलम सं. (1), (2) और (3) के अंतर्गत निम्नलिखित प्रविष्टियों का विलोपन किया जाएगा:-

72 (पुराना)	पॉन्टा साहिब- हिमाचल प्रदेश/उत्तराखंड सीमा	किमी. 97.000 से 103.400 किमी
7 (नया)	(हिमाचल प्रदेश राज्य में)	

[फा. सं. एनएच-14013/13/2026-पी एंड एम]

शेख अमीनखान, निदेशक

टिप्पणः मूल अधिसूचना को का.आ. 978(अ), दिनांकित 01 मार्च, 2023 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2026

S.O. 4249(E).— In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 978(E), dated the 1st March, 2023, namely:-

In the Table to the said notification, the following entries, under columns number (1), (2) and (3) respectively shall be omitted:-

72 (Old)	Paonta Sahib- Himachal Pradesh/Uttarakhand border	km. 97.000 to km 103.400
7 (new)	(In the state of Himachal Pradesh)	

[F. No. NH-14013/13/2026-P&M]

SHAIKH AMINKHAN, Director

Note:-The principal notification was published vide number S.O. 978(E), dated the 1st March, 2023.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2026

का.आ. 4250(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, दिनांकित 30 अप्रैल, 2026 में प्रकाशित भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं.का.आ. 2148 (अ), दिनांकित 30 अप्रैल, 2026 को एतद्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त करती है।

[फा. सं. एनएच-14013/13/2026-पी एंड एम]

शेख अमीनखान, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2026

S.O. 4250(E).— In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 2148(E), dated the 30th April, 2026 published in the Gazette of India, Extraordinary dated 30th April, 2026, with immediate effect.

[F. No. NH-14013/13/2026-P&M]

SHAIKH AMINKHAN, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2026

का.आ. 4251(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, दिनांक 30 अप्रैल, 2026 को प्रकाशित भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 2149(अ) और 2150(अ), दिनांक 30 अप्रैल, 2026 को एतद्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त करती है।

[फा. सं. एनएच-14013/13/2026-पी एंड एम]

शेख अमीनखान, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2026

S.O. 4251(E).— In exercise of powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 2149 (E) & S.O. 2150 (E), dated the 30th April, 2026 published in the Gazette of India, Extraordinary dated 30th April, 2026, with immediate effect.

[F. No. NH-14013/13/2026-P&M]

SHAIKH AMINKHAN, Director